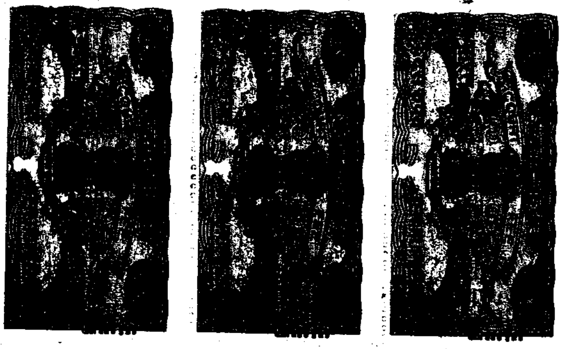

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल प्रधान कार्यालय ग्वालियर म.प्र.

R 1328-PBR/17

निगरानी : /2017

याचिकाकर्ता :–

1. नेमीचंद पुत्र गजानंद
2. रामबल्लभ पुत्र सोमराज
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र सोमराज
4. गायत्री बेबा पत्नि गोरधन
5. सुनील पुत्र गोरधन
6. अनिल पुत्र गोरधन
7. बृजकिशोर पुत्र गोरधन
8. रानीबाई पुत्री गोरधन
9. आशाबाई पुत्री गोरधन
10. ताराबाई पुत्र गोरधन जाति ब्राहम्मण निवासी आरोन जिला गुना।

विपरीत

1. सुरेश पुत्र बाबूलाल
2. महेश पुत्र बाबूलाल
3. बृजेश पुत्र बाबूलाल
4. चमेली बाई बेबा बाबूलाल जाति ब्राहम्मण निवासी साहू कॉलोनी आरोन

– रेस्पोन्डेंटस

निगरानी धारा अन्तर्गत 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आरोन जिला गुना द्वारा पारित अंतरिम (स्थगन) आदेश दिनांक 08.02.2017 के विरुद्ध।

क्रमशः...2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1328—पीबीआर/17 [नेमीचंद आदि/सुरेश, नाके] जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11—5—2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8—12—17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त अंतरिम आदेश से आवेदकगण का स्थगन आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि कस्बा आरोन की भूमि सर्वे कमांक 1497/2 रकबा 0.262 हेक्टेयर भूमि गुना—सिरोंज बायपास का अवार्ड कलेक्टर द्वारा जारी कर दिया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	